भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशनार्थ

(भाग–I खण्ड–1)
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

सार्वजनिक सूचना सं. 7 /2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 1 मई, 2015

विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैराग्राफ 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया–पुस्तक (2015–2020) के पैरा 2.07 (क) (iv) में संशोधन करते हैं जिसमें आयातक–निर्यातक कोड (आईईसी) प्राप्त करने से छूट प्राप्त आयातकों अथवा निर्यातकों की श्रेणियां सूचीबद्ध हैं।

2. मौजूदा पैरा 2.07 (क)(iv) को निम्नानुसार पढ़ा जाता हैः

"भारत–म्यांमार सीमावर्ती क्षेत्रों और चीन (गुन्जी, नामगया शिपकिलॉ और नाथूलॉ पत्तनों के माध्यम से) नेपाल से/को माल का आयात/निर्यात करने वाले व्यक्ति, बशर्ते एकल खेप का सीआईएफ मूल्य 25000/– भारतीय रूपयों से अधिक न हो। नाथूलॉ पत्तन के मामले में, लागू मूल्य सीमा 1,00,000/– रू. होगी।"

3. संशोधित पैरा 2.07 (क)(iv) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः

"नेपाल, म्यांमार (भारत–म्यांमार सीमावर्ती क्षेत्रों के माध्यम से) और चीन (गुन्जी, नामगया शिपकिलॉ और नाथूलॉ पत्तनों के माध्यम से) से/को माल का आयात/निर्यात करने वाले व्यक्ति, बशर्ते नेपाल और म्यांमार (भारत–म्यांमार सीमावर्ती क्षेत्रों के माध्यम से) से/को ऐसे माल के आयात/निर्यात की एकल खेप का सीआईएफ मूल्य 25000/–भारतीय रूपयों से अधिक नहीं होना चाहिए और चीन के मामले में (क) गुन्जी और नामगया शिपकिलॉ के माध्यम से चीन से/को माल के आयात/निर्यात के लिए, एकल खेप का सीआईएफ मूल्य 1,00,000/– भारतीय रूपयों से अधिक नहीं होना चाहिए; और (ख) नाथूलॉ के माध्यम से माल के आयात/निर्यात के लिए एकल खेप का सीआईएफ मूल्य 2,00,000/–रू. से अधिक नहीं होना चाहिए।

4. <u>इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः</u>

भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार के लिए, नाथूलॉ के मामले में, प्रति खेप का सीआईएफ मूल्य 1,00,000/–रू. से बढ़ाकर 2,00,000/–रू. कर दिया गया है, जबकि गुन्जी और नामगया शिपकिलॉ के लिए 25,000/–रू. की मौजूदा सीआईएफ मूल्य सीमा को बढ़ाकर 1,00,000/–रू. कर दिया गया है।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार

ई-मेलः dgft@nic.in

(फा0सं0 01/89/180/विविध 57/एएम–06/पीसी–2(बी) से जारी)